

CLASSIFICATION OF AUDIT

GAURAV JASIWAL

DEPT. OF COMMERCE

DURGA MAHAVIDYALAYA

Classification of Audit

Audit

```
graph TD; A[Audit] --- B[According to org. Structure to business]; A --- C[Practical point of view];
```

According to org.
Structure to
business

Practical point of
view

Classification of Audit according to organizational Structure of business

व्यवसाय की संगठनात्मक संरचना के अनुसार अंकेक्षण का वर्गीकरण

I. Statutory Audit

1) Audit of companies

2) Audit of Trust- Act 1950

3) Audit of other Organisations

i. Banking regulation Act.1949

ii. Insurance act 1938

iii. The Electricity Act 1948

II. Private Audit

The audit of those institutions which do not have any legal obligation to audit their accounts comes under the category of private audit.

जिन संस्थाओं के हिसाब-किताब के अंकेक्षण के लिए किसी प्रकार का वैधानिक बंधन नहीं होता, उनका अंकेक्षण निजी अंकेक्षण की श्रेणी में आता है।

- 1) Sole trader
- 2) Partnership Firm
- 3) Private individuals

III. Government Audit

Government audit means examining the accounts of government companies and government departments. For this, an audit department is opened by the central and state government.

सरकारी अंकेक्षण का आशय सरकारी कंपनियों एवं सरकारी विभागों के खातों की जांच से है इसके लिए केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा एक अंकेक्षण विभाग खोला जाता है

“(CAG) Article 148 of Indian constitution – appointed by president”

Article 149-Duties

IV. Internal audit

organization of some organizations is such that they appoint auditors like other employees. The reason for this is that such organizations feel the need for auditor staff to prevent accounting irregularities and fraud. These auditors are permanent and get salary like other employees.

कछ संस्थाओं का संगठन इस प्रकार होता है कि वह अन्य कर्मचारी की भांति अपने यहां अंकेक्षकों को भी नियुक्त करती है। इसका कारण प्रायः यह होता है की ऐसी संस्थाएँ हिसाब किताब की गड़बड़ी तथा छल कपट को रोकने के लिए अंकेक्षक कर्मचारियों की आवश्यकता समझती है। यह अंकेक्षक स्थाई होते हैं और अन्य कर्मचारी की भांति इनको वेतन मिलता है।

Classification of audit from Practical point of view

व्यावहारिक दृष्टिकोण से लेखापरीक्षा का वर्गीकरण

- 1) Continuous Audit(चालू अंकेक्षण):- As the name suggests, ongoing audit is an audit in which the auditor comes continuously throughout the year or at indefinite intervals to examine the accounts. Although under this, the work of audit continues continuously throughout the year or intermittently, but the auditor gives his report only at the end of the year. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चालू अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जिसमें अंकेक्षक लगातार वर्ष भर या अनिश्चित अंतराल पर आकर बही-खातों के हिसाब-किताब की जांच करता है। यों तो इसके अंतर्गत अंकेक्षण का कार्य लगातार वर्ष भर या रुक-रुक कर चलता रहता है किंतु अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन वर्ष के अंत में ही देता है।

“In continuous audit, the auditor's staff remains busy in examining the accounts throughout the year.”

“निरंतर अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष भर लेखों की जांच में व्यस्त रहता है”

Advantages of Continuous Audit

सतत अंकेक्षण के लाभ

1. Intensive checking of books of accounts

हिसाब-किताब की सघन जांच

2. Quick discovery of errors and frauds

त्रुटियों और धोखाधड़ी का त्वरित पता लगाना

3. Moral effect on employees

कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव

4. Help in declaration of interim dividend

अंतरिम लाभांश की घोषणा में सहायता

4. Quick receipt of Auditor's report

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की त्वरित प्राप्ति

5. Convenience of Auditor

लेखापरीक्षक की सुविधा

6. Proper utilisation of time

समय का सदुपयोग

Disadvantages of Continuous Audit

सतत अंकेक्षण के दोष

1. Inconvenience in work
काम में असुविधा
2. Highly expensive
अत्यधिक महंगा
3. Less effectiveness of Auditors
लेखापरीक्षकों की कम प्रभावशीलता
4. Possibility in alteration of figures
आंकड़ों में फेरबदल की संभावना
5. Decrease in efficiency of the employees
कर्मचारियों की कार्यक्षमता में
कमी

2) Periodical/Annual/Final Audit :- Annual or periodical audit is usually carried out at the end of the financial year when the final accounts are completely prepared and the audit work does not begin until these are completed. This type of audit takes place only once a year.

वार्षिक/सामयिक/अंतिम अंकेक्षण :- वार्षिक या सामयिक अंकेक्षण साधारणतया वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर जब अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं किया जाता है और अंकेक्षण का कार्य तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक की यह पूरा नहीं हो जाता है। इस प्रकार का अंकेक्षण वर्ष में केवल एक बार ही होता है।

(suitable for small orgn.)

Advantages of Periodical/Annual/Final Audit

आवधिक/वार्षिक/अंतिम अंकेक्षण के लाभ

- Economical किफ़ायती
- Time saving समय बचाने वाला
- Continuity in Audit लेखापरीक्षा में निरंतरता
- Impossibility to change Audited accounts लेखापरीक्षित खातों को बदलने की असंभवता
- Audit work is less monotonous ऑडिट का काम कम नीरस है
- Advantages to the auditors लेखापरीक्षकों को लाभ

Disadvantages of Periodical/Annual/Final Audit आवधिक/वार्षिक/अंतिम अंकेक्षण के दोष

- Lack of intensive Audit गहन लेखापरीक्षा का अभाव
- Knowledge about errors & fraud at the last hour अंतिम समय में त्रुटियों और धोखाधड़ी के बारे में ज्ञान
- Delay in final report अंतिम रिपोर्ट में देरी
- Inefficiency in work कार्य में अकशलता
- Work in mechanical way यांत्रिक तरीके से काम
- Lack of advice in time समय पर सलाह का अभाव

3) Interim Audit :- It is an audit conducted between two annual audits. In other words, it is the audit conducted in the middle of the financial year. It is carried out for some specific purpose for declaring interim dividend, ascertaining interim profit.

यह दो वार्षिक ऑडिट के बीच किया जाने वाला ऑडिट है। दूसरे शब्दों में, यह वित्तीय वर्ष के मध्य में किया गया ऑडिट है। यह अंतरिम लाभांश घोषित करने, अंतरिम लाभ सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

Advantages of Interim Audit

अंतरिम अंकेक्षण के लाभ

- Base for the payment of Interim Dividend
अंतरिम लाभांश के भुगतान का आधार
- Helps in tax planning टैक्स प्लानिंग में मदद करता है
- Early detection of errors and frauds त्रुटियों और धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाना
- Early completion of Final Audit अंतिम लेखापरीक्षा को शीघ्र पूरा करना
- Advice of Auditor in suitable time उपयुक्त समय पर लेखापरीक्षक की सलाह

Disadvantages of Interim Audit

अंतरिम अंकेक्षण के दोष

- Chances to alteration of Accounting Figures
लेखांकन आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना
- Expensive महँगा
- Additional work for Auditor लेखापरीक्षक के लिए अतिरिक्त कार्य
- Lack of intensive Audit गहन लेखापरीक्षा का अभाव

4) Procedural Audit :- Process Audit is the audit by which the accounting system of an organization is examined. This audit is a part of the annual audit.

प्रक्रिया अंकेक्षण वह है अंकेक्षण जिसके द्वारा किसी संस्था की लेखा पुस्तक के लिखने की प्रणाली की जांच की जाती है। यह अंकेक्षण वार्षिक अंकेक्षण का ही अंग है।

5) Occasional Audit :- The audit conducted at a particular time for a particular purpose is called Occasional audit. Such audits are mainly conducted by the owners of sole proprietorships and partnership firms for specific purposes such as - on admission of partner, on death of partner, on valuation of goodwill, on merger of two firms.

किसी विशेष उद्देश्य से विशेष समय पर कराए जाने वाले अंकेक्षण को आकस्मिक अंकेक्षण कहते हैं। ऐसे अंकेक्षण मुख्य रूप से एकाकी व्यापार तथा साझेदारी संस्थाओं के मालिकों द्वारा विशेष उद्देश्य से कराए जाते हैं जैसे - साझेदार का प्रवेश होने पर, साझेदार की मृत्यु होने पर, ख्याति का मूल्यांकन करने पर, दो संस्थाओं का संविलियन होने पर।

6) Partial Audit :- Examination of a particular part of the accounting books or examination of accounts for a particular period is called partial audit. Partial audit is not practical. Neither any employer would want to conduct such an audit nor would the auditor be prepared for such work.

हिसाब किताब के किसी विशेष भाग की जांच अथवा किसी विशेष अवधि के खातों की जांच आंशिक अंकेक्षण कहलाती है। आंशिक अंकेक्षण व्यवहारिक नहीं है। न तो कोई नियोक्ता ऐसा अंकेक्षण करवाना चाहेगा और न ही अंकेक्षक ऐसे कार्य के लिए तैयार होगा।

7) External Audit :- External audit is the process of independent evaluation of the company's financial statements by a qualified independent third party, the external auditor. In this case, auditors review the transactions and balances of the company's accounting records to determine whether they are complete and accurate.

बाह्य ऑडिट एक योग्य स्वतंत्र तृतीय पक्ष, बाहरी ऑडिटर द्वारा कंपनी के वित्तीय विवरणों के स्वतंत्र मूल्यांकन की प्रक्रिया है। इस मामले में, ऑडिटर यह निर्धारित करने के लिए कंपनी के लेखांकन रिकॉर्ड के लेनदेन और शेष की समीक्षा करते हैं कि क्या वे पूर्ण और सटीक हैं।

- 8) Complete Audit :- When the owner of the organization wants all his accounting books to be examined so that no account or transaction is left out of scrutiny, then such investigation is called complete audit. जब संस्था का मालिक यह चाहता है कि उसकी सारी लेखा पुस्तकों की जांच हो जाए जिससे कोई भी खाता या सौदा जांच होने से नहीं छूटे तो ऐसी जांच को पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं।
- 9) Cost Audit :- Cost audit means that audit in which such accounts are audited which are related to the production expenses of any item. Cost audit is related to such companies which are engaged in activities like production, construction, mining etc. लागत अंकेक्षण का आशय उस अंकेक्षण से है जिसमें ऐसे लेखों का अंकेक्षण किया जाता है जो किसी वस्तु के उत्पादन व्ययों से संबंधित होते हैं। लागत अंकेक्षण ऐसी कंपनियों से सम्बंधित है जो उत्पादन , निर्माण, खान आदि क्रियाओं में संलग्न है।
(central govt. have a right u/s 148 of companies act 2013)

10) Cash Audit :- When an organization or person gets only cash accounts audited, then this type of audit is called cash audit. While preparing his report, the auditor must write that he has audited only the cash transactions and not all the items and accounts.

जब कोई संस्था या व्यक्ति केवल नगद लेखों का ही अंकेक्षण करवाता है , तो इस प्रकार के अंकेक्षण को रोकड़ अंकेक्षण कहते हैं। अंकेक्षण को अपना प्रतिवेदन तैयार करते समय यह अवश्य लिखना चाहिए की उसने केवल नकद लेन देनों का ही अंकेक्षण किया है ,समस्त मदों व खातों का नहीं।

11) Tax Audit :- Under the provisions of the Income Tax Act, 1961, those institutions whose turnover or receipts exceed a certain limit or the income of professional persons exceed the prescribed limit, are required to undergo mandatory tax audit under Section 244 of the Income Tax Act. The purpose of this type of audit is to assist the government in determining the correct income tax.

A taxpayer is required to have a tax audit carried out if the sales, turnover or gross receipts of business exceed **Rs. 1 Crore** in the financial year. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी संस्थाएं जिनका आवर्त या प्राप्तियां एक निश्चित सीमा से ज्यादा हैं या पेशेवर व्यक्तियों की आय निर्धारित सीमा से ज्यादा हो उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 244 के अंतर्गत अनिवार्य कर अंकेक्षण कराना होता है। इस प्रकार के अंकेक्षण का उद्देश्य को सही आयकर का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करना है।

यदि किसी करदाता को वित्तीय वर्ष में बिक्री, टर्नओवर या व्यवसाय की सकल प्राप्तियां 1 करोड़ रुपये से अधिक हो तो टैक्स ऑडिट कराना आवश्यक होता है।

12) Concurrent Audit :- Due to the increasing scope and development of business, various businesses have made arrangements for concurrent audit. Presently this audit is more popular in banks. In this type of audit, along with checking the validity and completeness of its forms regarding any transaction, the process adopted in relation to it is also examined. This investigation is done from time to time by the employees of the institution. व्यवसाय की बढ़ते हुए क्षेत्र व विकास के कारण विभिन्न व्यवसायों ने संगामी अंकेक्षण की व्यवस्था की है। वर्तमान में यह अंकेक्षण बैंकों में अधिक लोकप्रिय है। इस प्रकार के अंकेक्षण में किसी लेन देन के संबंध में उसके प्रपत्रों की वैद्यता व पूर्णता की जांच के साथ उसके संबंध में अपनायी गई प्रक्रिया की भी जांच की जाती है। यह जांच संस्था के कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर की जाती है।